

—: आदेश :—

27-09-2013

आवेदक श्री राजेश कुमार सुरेका, पिता—श्री हरि प्रसाद सुरेका, सा०—एफ०—2सी०, पुष्पा विहार अपार्टमेंट, एकजीविशन रोड, पो०—जी०पी०ओ०, थाना—गाँधी मैदान, जिला—पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—09—371/2013 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक—27.09.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे तारिक मंजिल, फ्रेजर रोड, पटना स्थित M/s Century Polyplast Industries के Proprietor हैं। अपने व्यवसाय के संबंध में आवेदक को बाहर आना—जाना पड़ता है। आवेदक अपने सुरक्षा हेतु निजी सुरक्षा गार्ड रखे हुए हैं। उनका वार्षिक turnover 25 करोड़ रूपये का है। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—1186/गो०, दिनांक—18.08.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। पुलिस उपाधीक्षक, नगर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, गाँधी मैदान के अनुशंसा के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अग्रसारित कर मूल आवेदन के साथ संलग्न कर भेजा गया है। थानाध्यक्ष, गाँधी मैदान द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक तारिक मंजिल, फ्रेजर रोड, पटना स्थित M/s Century Polyplast Industries के Proprietor हैं। अपने व्यवसाय के संबंध में आवेदक को बाहर आना—जाना पड़ता है। तदोपरान्त आवेदक के जान—माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।


वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संघारित कामजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान—माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री राजेश कुमार सुरेका, पिता—श्री हरि प्रसाद सुरेका, सा0—एफ0—2सी0, पुष्पा विहार अपार्टमेंट, एकजीविशन रोड, पो0—जी0पी0ओ0, थाना—गाँधी मैदान, जिला—पटना को उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री सुरेका को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगे।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।